

सराहनीय कार्य

दिनांक 27.12.2020

पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा



अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड, 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विजेन्द्र पाल सिंह पुत्र जय सिंह नि0 वरी प्रसिद्धपुर थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहांपुर।

बरामदगी विवरण-

01. 01 अदद रायफल 315 बोर।
02. 02 अदद तमंचा 315 बोर।
03. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
04. 03 अदद अर्धनिर्मित तमंचा।
05. शस्त्र बनाने के उपकरण।
06. ₹0 45,500/- नगद।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 530 / 20, धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

जनपद गोण्डा में अवैध शस्त्र की तस्करी व उनके निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने अवैध असलहो के निर्माण व बिक्री करने में संलिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

दिनांक 26.12.2020 की रात्रि थाना नवाबगंज पुलिस रात्रि गश्त, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण में संलिप्त कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने का कार्य सरयू नदी के पास रामलोचन के मडहा के पीछे गन्ने के खेत में ग्राम तुलसीपुरमाझा में कर रहे हैं तथा अवैध शस्त्रों को पैसा लेकर बेचने का कार्य भी करते हैं। मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दबिश देकर उक्त अभियुक्त को **गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।**

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके साथ चार अन्य साथी 01. धनेश यादव पुत्र रामदरश यादव नि0 गुप्तार घाट थाना कैण्ट जनपद अयोध्या, 2. रामलोचन पुत्र देवकली यादव नि0 तुलसीपुरमाझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, 03. सुग्गीम उर्फ सुग्गी पुत्र चन्द्रभान नि0 ग्राम पूरे अर्जुन तुलसीपुरमाझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, 04. दीना यादव पुत्र भगौती यादव नि0 ग्राम पूरे अर्जुन तुलसीपुरमाझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा जो साथ में थे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये हैं हमलोग काफी दिनों से अवैध असलहों का निर्माण व बिक्री का कार्य कर रहे हैं। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 हरिद्वार तिवारी।
02. उ0नि0 रविन्द्र कुमार चन्द्रा।
03. हे0का0 अखिलेश सिंह।
04. हे0का0 भानु प्रताप सिंह।
05. हे0का0 राजेश यादव।
06. का0 उत्कर्ष राय।
07. का0 अरुण कुमार।
08. का0 आयुष कुमार यादव।